भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. +2321
सोमवार, 13 दिसम्बर, 2021/22 अग्रहायण, 1943 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

क्षेत्रीय स्तर के पर्यटक गाइड लाइसेंस जारी करना

+2321. श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:
श्री श्री सी.एन. अन्नादुरई:
श्री जी. सेल्वम:
श्री गौतम सिगामणि पोन:
श्री धनुष एम. कुमार:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत पर्यटक गाइड की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या क्या है;
(ख) क्या प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार के तहत क्षेत्रीय स्तर के पर्यटक गाइड लाइसेंस सरकार जारी कर रही है;
(ग) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान जारी किए गए पर्यटक गाइड लाइसेंस की संख्या कितनी है;
(घ) क्या देश में अनुमोदित पर्यटक गाइडों की भारी कमी है;
(ड.) क्या सरकार ने स्थानीय स्तर पर दक्ष लोगों का एक पूल तैयार करने के लिए कोई सर्टिफिकेट ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है;
(च) क्या सरकार देश में पर्यटक गाइड के लिए रिफ्रेशर कोर्स चला रही है यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(छ) क्या सरकार पर्यटक गाइडों की स्थिति बेहतर बनाने के लिए कोई सुविधा प्रदान कर रही है यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ज) क्या देश में पर्यटक प्रबंधन के लिए कोई विशेष संस्था स्थापित की गई है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री जी. किशन रेड्डी)**

(क): वर्तमान में, देश में 3227 क्षेत्रीय स्तर के पर्यटक गाइड उपलब्ध हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण उत्तर के साथ **अनुबंध** के रूप में संलग्न किया गया है।

(ख): जी हाँ, महोदय।

(ग): पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय स्तर गाइड (आरएलजी) के लिए कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया गया है क्योंकि मामला दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय

(डब्ल्यूपी संख्या 3342/2017, 4155/2017) में विचाराधीन है। हालांकि, उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार मौजूदा क्षेत्रीय स्तर के गाइड (आरएलजी) के लाइसेंस को अब तक नवीनीकृत/विस्तारित किया गया है।

(घ): जी हाँ, महोदय।

(ड.): जी हाँ, महोदय।

(च): जी हाँ, महोदय। चालू वर्ष के दौरान और 7 दिसम्बर, 2021 तक, कुल 1294 क्षेत्रीय स्तर गाइड (आरएलजी)/अतुल्य भारत पर्यटक गाइडों (आईआईटीजी) ने इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर (आईआईटीएफसी)/आईआईटीजी पोर्टल के माध्यम से संचालित ऑनलाइन पुनश्चर्या पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है।

(छ) भारत सरकार ने "कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना" (एलजीएससीएटीएसएस) शुरू की है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त प्रत्येक क्षेत्रीय पर्यटक गाइड/अतुल्य भारत पर्यटक गाइड और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त पर्यटक गाइडों को 1.00 लाख रुपये तक की ऋण गारंटी को विस्तारित किया जा रहा हैं।

पर्यटन मंत्रालय के एलजीएससीएटीएसएस का उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपर्युक्त लाभार्थियों को प्रदान किए गए ऋणों के लिए गारंटी कवरेज प्रदान करना है, ताकि वे अपनी देनदारियों का निर्वहन कर सके और कोविड -19 महामारी के कारण प्रभावित व्यवसाय को फिर से शुरू कर सके।

उक्त योजना की वैधता 31.03.2022 तक या योजना के तहत 250.00 करोड़ रुपये की गारंटी जारी किए जाने तक हैं, जो भी पहले हो और योजना के तहत स्वीकृत सभी पात्र ऋणों पर 04.10.2021 या उसके बाद (एनसीजीटीसी द्वारा एलजीएससीएटीएसएस दिशानिर्देश जारी होने तक) 31.03.2022 तक लागू होगा। योजना के तहत प्रदान की जाने वाली क्रेडिट सुविधाओं के लिए एनसीजीटीसी द्वारा एमएलआई से कोई गारंटी शुल्क नहीं लिया जाएगा।

(ज): पर्यटन मंत्रालय के तहत भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) एक स्वायत्त संस्थान है जो ग्वालियर, भुवनेश्वर, नोएडा, नेल्लोर और गोवा केंद्रों के माध्यम से पर्यटन प्रबंधन पाठ्यक्रमों का संचालन करती है।

****

अनुबंध

क्षेत्रीय स्तर के पर्यटक गाइड लाइसेंस जारी करना के संबंध में 13.12.2021 के लोक सभा के लिखित प्रश्न संख्या +2321 के भाग (क) के उत्तर में **विवरण।**

क्रं. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	गाइडों की संख्या
1.	दिल्ली	738
2.	हरियाणा	35
3.	राजस्थान	977
4.	उत्तर प्रदेश	749
5.	पंजाब	03
6.	जम्मू और कश्मीर	01
7.	उत्तराखंड	02
8.	हिमाचल प्रदेश	04
9.	मेघालय	01
10.	तमिलनाडु और पुडुचेरी	120
11.	कर्नाटक	34
12.	केरल	86
13.	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	15
14.	महाराष्ट्र	180
15.	गोवा	31
16.	गुजरात	22
17.	छत्तीसगढ़	02
18.	मध्य प्रदेश	106
19.	बिहार	25
20.	झारखंड	02
21.	उड़ीसा	23
22.	पश्चिम बंगाल	69
	असम	02
	कुल	**3227**

****